रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

xxxGIDHxxx
सी.जी.-एम.एच.-अ.-06122021-231637
CG-MH-E-06122021-231637
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943	
No. 633]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943	

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 6 दिसम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एल.आर.ओ./जी.एन./2021/60.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-

   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

      "(चक) "असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों" का अर्थ है – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021;"

   II. विनियम 5क निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"**असूचीबद्धता का प्रस्ताव**

5क. (1) इन विनियमों और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में जब अर्जनकर्ता विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4 या विनियम 5 के अनुसार लक्षित कंपनी के शेयरों या मताधिकारों या नियंत्रण को अर्जित करने के लिए खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की सार्वजनिक घोषणा करता है, तब वह इस विनियम के अनुसार असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव (ऑफर) लाकर लक्षित कंपनी को असूचीबद्ध करा सकता है:

परंतु यह कि अर्जनकर्ता खुले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा करते समय और विस्तृत सार्वजनिक विवरण (डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट) देते समय इस प्रकार लक्षित कंपनी को असूचीबद्ध कराने का अपना इरादा जाहिर कर चुका हो । उप-विनियम (1) के तहत लाए जाने हेतु प्रस्तावित असूचीबद्धता के प्रस्ताव (ऑफर) के प्रयोजनार्थ असूचीबद्ध कराए जाने के संबंध में बाद में की जाने वाली घोषणा पर्याप्त नहीं होगी:

परंतु यह और कि यदि खुला प्रस्ताव अप्रत्यक्ष अर्जन करने के लिए लाया जा रहा हो, जिसे विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अनुसार प्रत्यक्ष अर्जन न समझा जा सकता हो, तो ऐसे में इस प्रकार असूचीबद्ध कराने के अपने इरादे को जाहिर करते हुए घोषणा शुरू में ही केवल विस्तृत सार्वजनिक विवरण में ही की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1 : अर्जनकर्ता इस विनियम के तहत की गई सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी लक्षित कंपनी में:

(i) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) / नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, या

(ii) संप्रवर्तक या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों) से प्रत्यक्ष रूप से / अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा, या

(iii) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसके पास पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार हों ।

स्पष्टीकरण 2: अर्जनकर्ता कंपनी के मौजूदा संप्रवर्तक / नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर नियंत्रण हासिल (अर्जित) नहीं करेगा ।

(2) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को असूचीबद्धता के प्रस्ताव से संबंधित बाध्यताएँ इस तरह से पूरी करनी होंगी:

(क) सार्वजनिक घोषणा, विस्तृत सार्वजनिक विवरण और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार तय की गई खुले प्रस्ताव की कीमत का उल्लेख होगा और असूचीबद्धता हेतु सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) का उल्लेख होगा:

परंतु यह कि यदि खुला प्रस्ताव अप्रत्यक्ष अर्जन करने के लिए लाया जा रहा हो, जिसे विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अनुसार प्रत्यक्ष अर्जन न समझा जा सकता हो, तो अर्जनकर्ता को विस्तृत सार्वजनिक विवरण देते समय और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में खुले प्रस्ताव की कीमत और सांकेतिक कीमत सूचित करनी होगी:

परंतु यह और कि सांकेतिक कीमत (इंडिकेटिव प्राइस) तय करते समय उसमें वाजिब प्रीमियम भी जोड़कर डाला जाएगा, ताकि वह कीमत पता चल पाए जो अर्जनकर्ता असूचीबद्धता के प्रस्ताव के लिए अदा करना चाहता हो और साथ ही यह भी बताना होगा कि इस प्रकार तय की गई सांकेतिक कीमत का क्या तर्क और औचित्य है, जिसे शेयर सौंपे (दिए) जाने की अवधि शुरू होने से पहले अर्जनकर्ता द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, जिसकी जानकारी शेयरधारकों को विधिवत रूप से दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण: सांकेतिक कीमत असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) के अनुसार तय की जाएगी और जो कंपनी के बही-मूल्य (बुक वैल्यू)

[जिसकी गणना असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (5) के स्पष्टीकरण के अनुसार की गई हो] से कम नहीं होगी ।

(ख) यदि प्रस्ताव (ऑफर) के अनुसरण में शेयर सौंपे जाने के बाद असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 21 में असूचीबद्धता के संबंध में निर्धारित की गई सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड):

(i) से संबंधित अपेक्षा पूरी हो जाए, तो ऐसे में अपने शेयर सौंपने वाले सभी शेयरधारकों को सांकेतिक कीमत अदा की जाएगी;

(ii) से संबंधित अपेक्षा पूरी न हो, तो ऐसे में अपने शेयर सौंपने वाले सभी शेयरधारकों को खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की कीमत अदा की जाएगी ।

(3) जहाँ उप-विनियम (1) के तहत लाया गया असूचीबद्धता का प्रस्ताव :

(क) असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 11 के अनुसार शेयरधारकों की मंजूरी पहले न मिलने के कारण सफल न हो पाए; या

(ख) असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 12 के अनुसार संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की सैद्धांतिक मंजूरी पहले न मिलने के कारण सफल न हो पाए; या

(ग) असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 21 के तहत यथा निर्धारित सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) से संबंधित अपेक्षा पूरी न होने के कारण सफल न हो पाए,

तो ऐसे में अर्जनकर्ता (एक्वायरर), प्रस्ताव (ऑफर) के सफल न होने के संबंध में दो कार्य-दिवसों के भीतर, उन सभी समाचारपत्रों में घोषणा करेगा, जिनमें विस्तृत सार्वजनिक विवरण दिया गया था और वह खुले प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी होने के संबंध में इन विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेगा ।

(4) जहाँ प्रतियोगी प्रस्ताव (कम्पेटिटिव ऑफर) इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (1) के अनुसार लाया जाता है, वहाँ:

(क) अर्जनकर्ता (एक्वायरर) लक्षित कंपनी को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का हकदार नहीं होगा;

(ख) अर्जनकर्ता प्रतियोगी प्रस्ताव की वजह से हुई देरी के कारण शेयरधारकों को ब्याज अदा करने का दायी नहीं होगा; और

(ग) अर्जनकर्ता इन विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेगा, और इस संबंध में, विनियम 20 के उप-विनियम (1) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा किए जाने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, उन सभी समाचारपत्रों में घोषणा करेगा जिनमें विस्तृत सार्वजनिक विवरण जारी किया गया था ।

(5) जिन शेयरधारकों ने उप-विनियम (1) के तहत लाए गए प्रस्ताव (ऑफर) को स्वीकार करके अपने शेयर सौंपे हों, वे इस प्रकार सौंपे गए शेयरों को, उप-विनियम (3) के तहत की गई घोषणा की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, वापस लेने के हकदार होंगे ।

(6) जहाँ लक्षित कंपनी उप-विनियम (1) के तहत असूचीबद्धता का प्रस्ताव लाने के बाद असूचीबद्ध होने में सफल न हो, लेकिन ऐसा करने के बाद अर्जनकर्ता (एक्वायरर) की शेयरधारिता गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता की अधिकतम अनुमत सीमा (थ्रेसहोल्ड) को पार कर जाए, तो ऐसे में:

(क) अर्जनकर्ता खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से बारह महीनों की अवधि के दौरान असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के अनुसार लक्षित कंपनी को असूचीबद्ध कराने का एक और प्रयास कर सकेगा, बशर्ते कि लक्षित कंपनी में अर्जनकर्ता की शेयरधारिता गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता की अधिकतम अनुमत सीमा (थ्रेसहोल्ड) से अधिक बनी रहे ।

(ख) असूचीबद्ध कराने के लिए इस प्रकार फिर से किए गए प्रयास को तभी सफल माना जाएगा, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं :

(i) असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के विनियम 21 के तहत असूचीबद्धता के संबंध में दी हुई सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) से संबंधित अपेक्षा पूरी कर ली जाए; और

(ii) बाकी बची सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) का पचास प्रतिशत अर्जित कर लिया जाए ।

(ग) असूचीबद्ध कराने के लिए फिर से किए गए प्रयास के सफल न होने पर, अर्जनकर्ता, खंड (क) में दी गई अवधि के समाप्त होने के बारह महीनों की अवधि के भीतर, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] के तहत लक्षित कंपनी के संबंध में दी हुई न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी अपेक्षा का पालन सुनिश्चित करेगा ।

(घ) असूचीबद्ध कराने के लिए खंड (क) के अनुसार फिर से एक और प्रयास करते समय निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) वही होगी, जो निम्नलिखित में से सबसे अधिक हो:

(i) वह सांकेतिक कीमत, जिसकी पेशकश असूचीबद्ध कराने के लिए पहली बार की गई थी;

(ii) बाद में किए गए प्रयास की सुसंगत तारीख को असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के अनुसार तय की गई निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस); और

(iii) उप-विनियम (2) के तहत खंड (क) के स्पष्टीकरण में बताए गए तरीके के आधार पर निकाला गया कंपनी का बही-मूल्य (बुक वैल्यू) ।

(7) पहली बार और उसके बाद फिर से असूचीबद्ध कराने का प्रयास करते समय, असूचीबद्धता संबंधी विनियमों के सभी प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, बशर्ते की इस विनियम में अन्यथा कोई प्रावधान न किया गया हो ।”

III. विनियम 7 में,

(क) उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि अर्जनकर्ता द्वारा खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4 या विनियम 5 के तहत लाया गया हो और अर्जनकर्ता ने सार्वजनिक घोषणा और इन विनियमों के अनुसार खुला प्रस्ताव लाने के बाद जारी किए गए विस्तृत सार्वजनिक विवरण (पब्लिक स्टेटमेंट) में लक्षित (टार्गेट) कंपनी की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) को बरकरार रखने का अपना इरादा पहले ही जाहिर कर दिया हो, तो अर्जनकर्ता के पास, खुले प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शेयरों या मताधिकारों के अर्जन / में पैसा लगाने (के सब्स्क्रिप्शन) के लिए किए गए करार (एग्रीमेंट) के अनुसरण में और इस प्रकार सौंपे गए शेयरों को खरीदे जाने के अनुसरण में अर्जित किए जाने वाले शेयरों या मताधिकारों को आनुपातिक आधार पर इस प्रकार घटाने का विकल्प होगा कि उसके बाद लक्षित कंपनी में अर्जनकर्ता की शेयरधारिता प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] के तहत निर्धारित अधिकतम अनुमत गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता से अधिक न हो जाए:

परंतु यह और कि शेयरों में पैसा लगाए जाने के लिए किए गए करार (शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट) के अनुसरण में किए जाने वाले जिस अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) की वजह से खुला प्रस्ताव लाने का प्रावधान लागू हो जाए (उपरोक्त परंतुक के अनुसार), उस अधिमानी आबंटन के मामले में बोर्ड के संकल्प (बोर्ड रेज़ोल्यूशन) और शेयरधारकों के संकल्प (शेयरहोल्डर रेज़ोल्यूशन) में इसका साफ-साफ उल्लेख किया जाएगा, ताकि यह भी साफ-साफ पता चल जाए कि वास्तव में आबंटन किस तारीख से माना जाएगा और कितने शेयरों का आबंटन हुआ माना जाएगा ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के विनियम 170 में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, करार के अनुसार जितने शेयरों या मताधिकारों में पैसा लगाया जाना हो उसमें कटौती करने की दशा में, शेयरों का आबंटन किए जाने के संबंध में पंद्रह दिनों की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख तक खुले प्रस्ताव के तहत शेयर सौंपे जाने हों ।

स्पष्टीकरण 1 : जो अर्जनकर्ता कटौती कर रहा हो, वह सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी लक्षित कंपनी में:

(i) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) / नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, या

(ii) संप्रवर्तक या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों) से प्रत्यक्ष रूप से / अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा, या

(iii) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसके पास पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार हों ।

स्पष्टीकरण 2: जो अर्जनकर्ता कटौती कर रहा हो, वह कंपनी के मौजूदा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर नियंत्रण हासिल (अर्जित) नहीं करेगा ।"

(ख) उप-विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(5) विनियम 5क के अध्यधीन, जिस अर्जनकर्ता की शेयरधारिता इन विनियमों के तहत खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) लाने के बाद, अधिकतम अनुमत गैर-सार्वजनिक शेयरधारिता से अधिक हो जाए, वह तब तक असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों के तहत स्वैच्छिक असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) का प्रस्ताव (ऑफर) लाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि प्रस्ताव की अवधि के समाप्त होने की तारीख से बारह महीनों की अवधि न बीत जाए ।"

IV. विनियम 8 में, उप-विनियम (10) में, परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंक "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009", शब्दों तथा चिह्नों "असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

V. विनियम 10 में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(च) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाने वाला अर्जन;"

VI. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ङ) में, शब्द तथा चिह्न "ढंग;" के पश्चात् दिए हुए शब्द "और" का लोप हो जाएगा ।

(ख) खंड (च) में, शब्द तथा चिह्न "यदि कोई हों ।", शब्दों तथा चिह्न "यदि कोई हों; और" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

(ग) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(छ) अर्जनकर्ता का इरादा लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का है या फिर लक्षित कंपनी की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) को बरकरार रखने का। विनियम 5क के तहत प्रस्तावित असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के मामले में, विनियम 5क के अनुसार लाए गए खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) की कीमत और सांकेतिक कीमत बताई जाएगी, और साथ ही सांकेतिक कीमत का तर्काधार और औचित्य भी बताया जाएगा ।"

VII. विनियम 22 में,

(क) उप-विनियम (1) में, पहला परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि, अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) के बाद, इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (1) के तहत प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने के मामले में, प्रस्ताव, इन विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (4) में दिए हुए सर्वोपरि (नॉन-ऑब्स्टेंट) खंड के अध्यधीन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के विनियम 170 के उप-विनियम (1) के तहत यथा उल्लिखित अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।"

(ख) उप-विनियम (1) में, दूसरा परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि विनियम 5क के तहत लाए गए असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव (ऑफर) के मामले में, अर्जनकर्ता शेयरों के अर्जन, जिससे विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4 या विनियम 5 के अनुसार शेयर अर्जित करने के लिए प्रस्ताव लाने की बाध्यता लागू होती हो, की प्रक्रिया, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अनुसार लाए गए असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) संबंधी प्रस्ताव के सफल होने के संबंध में सार्वजनिक घोषणा करने के बाद ही, पूरी करेगा ।”

(ग) उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि विनियम 7 के उप-विनियम (4) के तहत संबंधित प्रावधान के अनुसार अर्जित किए जाने वाले शेयरों या मताधिकारों को आनुपातिक आधार पर घटाने के मामले में, अर्जनकर्ता लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) में शेयरों या मताधिकारों के अर्जन को कम करने की प्रक्रिया पूरी करेगा ।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./499/2021-22]

<u>पाद टिप्पण:</u>

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :

   क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा

   ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

   ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

   घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा

   ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा

   च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा

   छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा

   ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा

   झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा

   ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

   ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा

ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा

ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा

ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एलए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा

ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा

थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एन आरओ/जीएन/2020/14, द्वारा

ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा

न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा

प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2021/19, द्वारा

फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

ब) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/46, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th December, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/60.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -

I. In regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (f), the following new clause shall be inserted namely, -

"(fa) "Delisting Regulations" means the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;"

II. regulation 5A shall be substituted with the following, namely, -

"**Delisting Offer.**

5A. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations and the Delisting Regulations, in the event the acquirer makes a public announcement of an open offer for acquiring shares or voting rights or control of a target company in terms of sub-regulation (1) of regulation 3, regulation 4 or regulation 5, the acquirer may seek the delisting of the target company by making a delisting offer in accordance with this regulation:

Provided that the acquirer shall have declared his intention to so delist the target company at the time of making such public announcement of an open offer as well as at the time of making the detailed public statement. A subsequent declaration of delisting for the purpose of the delisting offer proposed to be made under sub-regulation (1) shall not suffice:

Provided further that if the open offer is for an indirect acquisition that is not a deemed direct acquisition under sub-regulation (2) of regulation 5, the declaration of the intent to so delist shall be made initially only in the detailed public statement.

Explanation 1: The acquirer shall not, in such target company during the preceding two years from the date of the public announcement made under this regulation, be:

(i) a promoter / promoter group / person(s) in control, or

(ii) directly / indirectly associated with the promoter or any person(s) in control, or

(iii) a person(s) holding more than twenty-five percent shares or voting rights.

Explanation 2: The acquirer shall not acquire joint control along with an existing promoter / person in control of the company.

(2) The delisting offer obligations shall be fulfilled by the acquirer in the following manner:

(a) the public announcement, the detailed public statement and the letter of offer shall mention the open offer price determined in accordance with regulation 8 of these regulations and the indicative price for delisting:

Provided that if the open offer is for an indirect acquisition that is not a deemed direct acquisition under sub-regulation (2) of regulation 5, the open offer price and indicative price shall be notified by the acquirer at the time of making the detailed public statement and in the letter of offer:

Provided further that the indicative price shall include a suitable premium reflecting the price that the acquirer is willing to pay for the delisting offer with full disclosures of the rationale and justification for the indicative price so determined that can also be revised upwards by the acquirer before the start of the tendering period which shall be duly disclosed to the shareholders.

Explanation: Indicative price shall be in accordance with clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Delisting Regulations and shall not be less than the book value of the company as computed in accordance with the Explanation to sub-regulation (5) of regulation 22 of the Delisting Regulations.

(b) in case the response to the offer leads to the delisting threshold as provided under regulation 21 of the Delisting Regulations :

(i) being met, all shareholders who tender their shares shall be paid the indicative price;

(ii) not being met, all shareholders who tender their shares shall be paid the open offer price.

(3) Where a delisting offer made under sub-regulation (1) is not successful:

(a) on account of the non–receipt of the prior approval of shareholders in terms of regulation 11 of the Delisting Regulations; or

(b) on account of non-receipt of the prior in-principle approval of the relevant stock exchange in terms of regulation 12 of the Delisting Regulations; or

(c) the threshold as specified under Regulation 21 of the Delisting Regulations is not achieved;

the acquirer shall, within two working days in respect of such failure, make an announcement in all the newspapers in which the detailed public statement was made and comply with all the applicable provisions of these regulations in relation to completing of the open offer.

(4) Where a competing offer is made in terms of sub-regulation (1) of regulation 20 of these regulations:

(a) the acquirer shall not be entitled to delist the target company;

(b) the acquirer shall not be liable to pay interest to the shareholders on account of delay due to the competing offer; and

(c) the acquirer shall comply with all the applicable provisions of these regulations and make an announcement in this regard, within two working days from the date of public announcement made in terms of sub-regulation (1) of regulation 20, in all the newspapers where the detailed public statement was made.

(5) The shareholders who have tendered shares in acceptance of the offer made under sub-regulation (1), shall be entitled to withdraw such shares tendered, within five working days from the date of the announcement under sub-regulation (3).

(6) Where the target company fails to get delisted pursuant to a delisting offer under sub-regulation (1), but which results in the shareholding of the acquirer exceeding the maximum permissible non-public shareholding threshold:

(a) the acquirer may undertake a further attempt to delist the target company in accordance with the Delisting Regulations during the period of twelve months from the date of completion of the open offer, subject to the acquirer continuing to exceed the maximum permissible non-public shareholding in the target company.

(b) such further delisting attempt shall be successful subject to the following conditions:

(i) the delisting threshold as provided under regulation 21 of the Delisting Regulations is met; and

(ii) fifty percent of the residual public shareholding is acquired.

(c) upon failure of the further delisting attempt, the acquirer shall ensure compliance of the minimum public shareholding requirement of the target company under the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 within a period of twelve months from the end of the period referred to at clause (a).

(d) the floor price for a further delisting attempt as referred to at clause (a) shall be higher of the following:

(i) the indicative price offered under the first delisting attempt;

(ii) the floor price determined under the Delisting Regulations as on the relevant date of the subsequent attempt; and

(iii) the book value of the company as computed based on the method stated in explanation to clause (a) under sub-regulation 2.

(7) While undertaking delisting for the first or subsequent attempt, all the provisions of the Delisting Regulations shall mutatis-mutandis be applicable, save as otherwise provided in this regulation."

III. In regulation 7,

(a) in sub-regulation (4), the following shall be inserted, namely, -

"Provided that if the open offer has been made by an acquirer under sub-regulation (1) of regulation 3, regulation 4 or regulation 5 and the acquirer has stated upfront his intention to retain the listing of the target company in the public announcement and the detailed public statement issued pursuant to an open offer in accordance with these regulations, the acquirer may alternatively undertake a proportionate reduction of the shares or voting rights to be acquired pursuant to the underlying agreement for acquisition/ subscription of shares or voting rights and the purchase of shares so tendered, upon the completion of the open offer process such that the resulting shareholding of the acquirer in the target company does not exceed the maximum permissible non-public shareholding prescribed under the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957:

Provided further that in case of a preferential allotment pursuant to a Share Subscription Agreement which may trigger an open offer as envisaged in the above proviso, the Board Resolution and shareholder resolution shall be appropriately worded, so as to include the effective date of allocation/allotment and the quantum thereof.

Notwithstanding anything contained in regulation 170 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, in case of undertaking a scale down of subscription of shares or voting rights from the agreement, the period of fifteen days for allotment of shares shall be counted from the date of the closure of the tendering period for the open offer.

Explanation 1: The acquirer who is undertaking a scale down shall not, in such target company during the preceding two years from the date of the public announcement, be:

(i) a promoter / promoter group / person(s) in control, or

(ii) directly / indirectly associated with the promoter or any person(s) in control, or

(iii) a person(s) holding more than twenty-five percent shares or voting rights.

Explanation 2: The acquirer who is undertaking a scale down shall not acquire joint control along with an existing promoter / person in control of the company."

(b) sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, -

"(5) Subject to regulation 5A, the acquirer whose shareholding exceeds the maximum permissible non-public shareholding, pursuant to an open offer under these regulations, shall not be eligible to make a voluntary delisting offer under the Delisting Regulations, unless a period of twelve months has elapsed from the date of the completion of the offer period."

IV. In regulation 8, in sub-regulation (10), in the proviso, the words, symbols and numbers "Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009" shall be substituted with the words "Delisting Regulations".

V. In regulation 10, in sub-regulation (1), clause (f) shall be substituted with the following, namely,-

"(f) acquisition pursuant to the provisions of the Delisting Regulations;"

VI. In regulation 15, in sub-regulation (1),

(a) in clause (e), after the words and symbol "consideration;" the word "and" shall be omitted.

(b) in clause (f), the words and symbol "if any." shall be substituted with the words and symbols "if any; and".

(c) after clause (f) the following new clause shall be inserted, namely, -

"(g) intention of the acquirer to either delist the target company or retain the listing of the target company. In case of proposed delisting under regulation 5A, the proposed open offer price and indicative price as required under regulation 5A shall be disclosed along with an explanation setting out the rationale and basis for justifying the indicative price."

VII. In regulation 22,

(a) in sub-regulation (1), the first proviso shall be substituted with the following, namely, -

"Provided that in case of an offer made under sub-regulation (1) of regulation 20 of these regulations, pursuant to a preferential allotment, the offer shall be completed within the period as provided under sub-regulation (1) of regulation 170 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure requirements) Regulations, 2018, subject to the non-obstante clause in sub-regulation (4) of regulation 7 of these regulations."

(b) in sub-regulation (1), in the second proviso, the words, symbols and numbers "regulation 3, 4 or 5" shall be substituted with the words, symbols and numbers "sub-regulation (1) of regulation 3, regulation 4 or regulation 5"; and the words, numbers and symbols "sub-regulation (1) regulation 18 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009" shall be substituted with the words, symbols and numbers "sub-regulation (4) of regulation 17 of the Delisting Regulations".

(c) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case of proportionate reduction of the shares or voting rights to be acquired in accordance with the relevant provision under sub-regulation (4) of regulation 7, the acquirer shall undertake the completion of the scaled down acquisition of shares or voting rights in the target company."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./499/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.
2. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were subsequently amended on:
   a) March 26, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.
   b) October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/ 2013-14/28/6720.
   c) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
   d) March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/ 2014-15/28/542.
   e) May 5, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
   f) August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
   g) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
   h) February 17, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.

i) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.

j) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

k) August 14, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.

l) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/20.

m) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.

n) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.

o) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/27.

q) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

r) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.

s) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/19.

t) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/20.

u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/19.

v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

w) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO / GN/ 2021/46.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.